24-5-18

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24-5-18	यह इजराय श्री लक्ष्मीकांत शर्मा वगैरा ने पेश की गई। रिपोर्ट अहलमद का अवलोकन किया। उक्त पालना हेतु तहसीलदार बामनवास को तहरीर जारी कर पत्रावली दिनांक 10-9-18 को पेश हो। उप जिला कलक्टर बामनवास (स० मा०)	
10/9/18	पत्रावली पेश हुई। वकील डिक्रीदार उप० / वकील द्वारा अवगत कराया कि इजराय की पालना हो चुकी है। अतः पत्रावली को ड्रोप की जावे। वकील डिक्रीदार को सुना गया। इजराय की पालना हो चुकी है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे। उप जिला कलक्टर बामनवास (जिला–स०मा०)	

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर – बामनवास

(पीठासीन अधिकारीः लोक अदालत/कैम्प कोर्ट फुलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारीः रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

1. बत्ती लाल,
2. रामकेश एवं
3. रामराज

पुत्रगण मौजीराम, जाति मीना, निवासी फुलवाड़ा, तहसील बामनवास

वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास — प्रतिवादी

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी,

इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 39/2018

वादीगण की ओर स्वयं वादीगण व प्रतिवादी की ओर से स्वयं प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 3.5.2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 126 रकवा 0.52 हैक्टेयर स्थित ग्राम फुलवाड़ा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किए जाने का आदेश दिया जाता है व प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण को विवादित आराजी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई व्यवधान प्रत्यक्ष या परोक्ष से उत्पन्न न करें ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 3.5.2018 को जारी की गई ।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)
(रामकिशोर मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बामनवास

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिला कलेक्टर
बामनवास (स०मा०)